

जनचेतना का प्रगतिशील कथा-मासिक

ISSN 2454-4450



मूल्य ₹ 50  
**हर**

जून 2022

संपादक  
संजय सहाय  
प्रबंध निदेशक  
रचना यादव  
कार्यालय व्यवस्थापक  
वीना उनियाल  
प्रसार एवं लेखा प्रबंधक  
हारिस महमूद  
शब्द-संयोजन  
प्रेमचंद गौतम  
कार्यालय सहायक  
किशन कुमार, दुर्गा प्रसाद  
मुख्य प्रतिनिधि (उ.प्र.)  
राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल  
रेखाचित्र  
रोहित प्रसाद, सिद्धेश्वर, संदीप राशिनकर,  
राधेलाल बिजघावने

कार्यालय  
अक्षर प्रकाशन प्रा. लि.  
4229/1, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-2  
व्हाट्सएप : 9717239112  
दूरभाष : 011-41050047  
ईमेल : editorhans@gmail.com  
वेबसाइट : www.hanshindimagazine.in

मूल्य : 50 रुपए प्रति  
वार्षिक : 500 रुपए (व्यक्तिगत)  
रजिस्टर्ड : 800 रुपए  
संस्था/पुस्तकालय : 700 रुपए (संस्थागत)  
रजिस्टर्ड : 1000 रुपए  
आजीवन : 15,000 रुपए  
विदेशों में : 80 डॉलर  
सारे भुगतान मनीऑर्डर/चैक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा  
अक्षर प्रकाशन प्रा. लि. (Akshar Prakashan  
Pvt. Ltd.) के नाम से किए जाएं.

हंस/अक्षर प्रकाशन प्रा.लि. से संबंधित सभी  
विवादास्पद मामले केवल दिल्ली न्यायालय के अधीन  
होंगे. अंक में प्रकाशित सामग्री के पुनर्प्रकाशन के  
लिए लिखित अनुमति अनिवार्य है. हंस में प्रकाशित  
रचनाओं में विचार लेखकों के अपने हैं. उनसे हंस  
की सहमति अनिवार्य नहीं है. साथ ही उनके मौलिक  
या अप्रकाशित होने का उत्तरदायित्व संपादक और  
प्रकाशक का नहीं है बल्कि यह दायित्व रचनाकार  
का है.

प्रकाशक/मुद्रक : रचना यादव खन्ना द्वारा अक्षर  
प्रकाशन प्रा. लि., 4229/1, अंसारी रोड, दरियागंज,  
नई दिल्ली-110002 के लिए प्रकाशित एवं चार दिशाएं,  
जी-39/40, सेक्टर-3, नोएडा- 201301 (उ.प्र.) से  
मुद्रित. संपादक—संजय सहाय.

जून, 2022

मूल संस्थापक : प्रेमचंद : 1930  
पुनर्संस्थापक : राजेन्द्र यादव : 1986

पूर्णांक-428 वर्ष : 36 अंक : 11 जून 2022



आवरण : सिद्धेश्वर



## जनचेतना का प्रगतिशील कथा-मासिक

### इस अंक में

#### संपादकीय

4. पूर्व प्रकाशित रचनाओं का संग्रह नहीं है हंस :  
संजय सहाय

#### अपना मोर्चा

7. पत्र

#### न हन्यते

10. महेंद्र राजा जैन : मेरा दुश्मन : भारत भारद्वाज

#### कहानियां

12. न्याय की ढाई चाल : अंजली देशपांडे  
22. अर्श-फर्श : हरजेन्द्र चौधरी  
27. तफ्तीश : राजेंद्र कुमार कनौजिया  
30. चानी : प्रतिभा चौहान  
38. अत्याचार निवारण केस : प्रीति प्रकाश  
53. मुर्गाबियों वाली रात : गैब्रियल गार्सिया मार्खेज  
(अमेरिकी कहानी)(अनुवाद : मंजुला वालिया)

#### कविता

36. शिवकुमार निखिलेश, अशोक कुमार  
37. देवेश पथ सारिया, ऋत्विक् भारतीय

#### साक्षात्कार

44. आलोचना बौद्धिकता की मांग करती है :  
(वरिष्ठ आलोचक निर्मला जैन से साधना अग्रवाल का संवाद)  
साधना अग्रवाल

#### कथेतर

50. आत्मकथा में अनुपात : पल्लव

#### लघुकथा

62. ज्ञानदेव मुकेश

#### आराम नगर

56. फुटबॉल, फिल्म और ईरानी महिलाओं  
का सफर : रचना शर्मा

#### गज़ल

59. संजय ग्रोवर 67. हबीब कैफी  
74. मनीष बादल 85. रामबहादुर चौधरी चंदन

#### परख

60. वर्तमान और इतिहास का संवेदनशील आत्मीय  
पाठ : पुरुषोत्तम अग्रवाल  
63. आत्मकथा जैसी जीवनी : मदन कश्यप  
65. डायरी में झिलमिलाता शहर : संतोष दीक्षित  
68. मूकनायक पर मुकम्मल विमर्श :  
कालीचरण स्नेही  
71. अदृश्य त्रासदी का कहर और दृश्यमान  
दुष्टता का बयान : प्रताप राव कदम  
75. हमें प्रेमियन बने रहने की जरूरत है : रविभूषण  
79. जीवन की लंबी यात्रा का साक्षी :  
अल्पना सिंह

#### लेख

82. लघुकथा- दशा और दिशा : विपिन जैन

#### शब्दवेधी/शब्दभेदी

86. अप्रिय सत्य : तसलीमा नसरीन

#### सृजन-परिक्रमा

90. अपने आप से दोस्ती :  
रश्मि रावत

#### रेतघड़ी

- 94-98



## पूर्व प्रकाशित रचनाओं का संग्रह नहीं है हंस

**म**ई में महीने भर हंस के कुछ रचनाकारों पर आरोप लगते रहे. गर्मागर्म बहस छिड़ी रही. इस गहमागहमी की आड़ में एक स्वर कुंठित विलाप का भी गूंजा.

खैर, सबसे पहले रजनी मोरवाल की कहानी 'कोका किंग' के एक संकलन में पूर्व प्रकाशित होने की बात सामने आई. फिर प्रियंका ओम और वरिष्ठ लेखिका सुधा अरोड़ा जी पर भी ऐसे ही आरोप लगे. जल्द ही इस सूची में अनघ शर्मा की कहानी 'हिज्र के दोनों ओर खड़ा है एक पेड़ हरा' का नाम भी शामिल हो गया जो 'जानकी पुल' में पहले ही प्रकट हो चुकी थी. रजनी मोरवाल से इस विषय में स्पष्टीकरण मांगा गया तब तक प्रियंका ओम और सुधा अरोड़ा जी पर भी फेसबुक में जोर-शोर से चर्चा आरंभ हो गई. अनुभवी सुधा जी ने मांगने के पहले ही अपना स्पष्टीकरण हमें भेज दिया. प्रियंका ओम और अनघ शर्मा के भी उत्तर आने में देर न लगी. हम इनके पत्रों को प्रकाशित कर रहे हैं.

आदरणीय संपादक जी

'हंस', नई दिल्ली

आपकी ईमेल दिनांक 11/05/2022 के बारे में मेरा निम्नलिखित मत है :-

खुद की रचना का पुनर्लेखन/रिवीजन का अधिकार हर लेखक

को होता है. मैंने अपनी कहानी 'कोका-क्वीन' को रिवाइज करके उसे 'कोका किंग' शीर्षक से इम्प्रूवाइज किया, जो 'हंस' के मई अंक में प्रकाशित है. पहली बार यह किसी पत्रिका में प्रकाशित हुई है जिस पर बेवजह विवाद पैदा किया जा रहा है.

मेरी मूल कहानी कोका-क्वीन आपके द्वारा उल्लेखित कहानी संकलन में संकलित हुई है जिसकी प्रति अभी तक मुझ तक नहीं पहुंची है. कोका-क्वीन कहानी उस संकलन में पहले भेजी गई थी और कोरोना काल के चलते हुए मुझे ऐसा लगा था कि इस संकलन के आने में समय लगेगा. अतः जनवरी 2022 में मैंने सुधार करके कहानी को हंस में भेजी और उसके बाद भी दो बार कहानी में इम्प्रूवाइज करके हंस में भेजी थी जो मई 2022 में प्रकाशित हुई. इस अंतराल में वह संकलन मार्च 2022 में आ गया जिसके बारे में मुझे तुरंत हंस को सूचित कर देना चाहिए था लेकिन ऐसा करने में मुझसे चूक हुई. अतः इन परिस्थितियों में कोई आरोप नहीं बनता है. साहित्य के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां लेखक अपनी कहानी को रिवाइज करता है तो कहानी को उपन्यास के रूप में भी दुबारा लिखता है साथ ही प्रकाशित भी करवाता है. अतः ना तो ये आरोप है ना कोई विवाद का विषय है फिर भी इससे 'हंस' पत्रिका के नियमों का उल्लंघन हुआ है तो मैं खेद प्रकट करती हूं. धन्यवाद!

रजनी मोरवाल



प्रिय संजय जी, यह सही है कि मेरी कहानी भीम टोला की छोकरी नरेंद्रपुर : 4 में प्रकाशित हुई थी, इसलिए मैंने उसे किसी पत्रिका में तब नहीं भेजा था।

हंस को मैंने अपनी कहानी गाथात्रयी भेजी थी जिसमें तीन स्वतंत्र कहानियां थीं और शृंखला में एक-दूसरे से जुड़ी हुई भी। आपने उसमें से अंतिम छोटी-सी कहानी को स्वीकृति दी। जब वीना उनियाल ने मुझे उस कहानी की कम्पोज की हुई कॉपी भेजी तो मुझे ठीक नहीं लगा कि शुरुआती दो कहानियों से काटकर उसे अलग से प्रकाशित किया जाए इसलिए मैंने यह 'निन्नी' कहानी को रीलेस करने के लिए नई कहानी भेज दी। यह गलती जरूर हुई कि मुझे बता देना चाहिए था कि यह कहानी एक संकलन में आ चुकी है हालांकि वह संकलन बहुत सीमित संख्या में ही प्रकाशित होता है और बड़े पाठक वर्ग तक नहीं पहुंचता। इस संदर्भ में अपनी बात कहना चाहती हूं।

आज करोड़ों में बोली जाने वाली भाषा हिंदी सिर्फ कुछ हजार पाठकों तक सिमट गई है। होना तो यह चाहिए कि किसी साहित्यिक पत्रिका के संपादक को अगर किसी छोटी पत्रिका या किसी संकलन में प्रकाशित कहानी बहुत अच्छी लगती है तो बजाय यह कहने के कि अरे, हमारी पत्रिका को यह कहानी भेजनी चाहिए थी, वह संपादक अपने पाठकों के लिए उस कहानी को फिर से अपनी पत्रिका में जगह दे! हंस के प्रतिष्ठित संपादक राजेंद्र यादव जी यह कर चुके हैं। सन् 2008 की बात है। कथादेश मासिक में मेरा स्तंभ औरत की दुनिया चल रहा था। एक किस्त में प्राध्यापक लेखिका सुमित्रा मेहरोल का एक आत्मकथ्य मैंने लिया था। काफी मेहनत की थी उस पर। लेखिका से कई बार लिखवाया था। उसका शीर्षक दिया था- 'कांच की बारीक दीवार के ढहने के इंतजार में'। वह आत्मकथ्य राजेंद्र जी को इतना पसंद आया कि लगभग छह महीने बाद उन्होंने उस संस्मरण को हंस में प्रकाशित किया। मैं उन पर काफी नाराज भी हुई क्योंकि उन्होंने उसके नीचे 'साभार कथादेश से' तक नहीं लिखा। मैंने जब उनसे कहा कि संपादकीय नैतिकता को आपने ताक पर रख दिया, कम से कम इतना तो लिखते कि यह कथादेश के 'औरत की दुनिया' स्तंभ से लिया है तो उन्होंने, जैसा कि उनका स्वभाव था, बात को हंसी ठट्टे में उड़ा दिया।

बहरहाल, यह मैं जरूर मानती हूं कि संपादकीय नैतिकता की बात करते हुए लेखकीय उसूलों को भी नहीं भूलना चाहिए। लेखक की कोई रचना एक पत्रिका या पुस्तक में प्रकाशित हो

चुकी है तो इसकी सूचना उसे संपादक को जरूर देनी चाहिए। यह गलती मुझसे भी हुई। मुझे 'निन्नी' कहानी के बदले 'भीम टोला की छोकरी' कहानी देते हुए यह बता देना चाहिए था कि यह कहानी नरेंद्रपुर संकलन में प्रकाशित हो चुकी है!

**सुधा अरोड़ा**

नमस्कार संपादक महोदय,

स्वयं पर लगे आरोप को स्वीकार करते हुए मात्र इतना ही कहना चाहती हूं कि यह भूल मुझसे अजाने ही हुई। इस गलती की पूरी जिम्मेदारी पूर्णरूपेण से मैं लेती हूं। मेरी मंशा, हंस जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कतई नहीं थी। उम्मीद है मेरी यह मूढ़ता माफी के काबिल होगी। मैं वचन देती हूं कि भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सादर और माफी सहित।

**प्रियंका ओम**

आदरणीय संजय जी, नमस्ते

आपका मेल अभी देखा मैंने। हां संभवतः मुझसे ये त्रुटि हुई है। ये कहानी ब्लॉग पर भी है जिसे मैंने अभी देखा-दूढ़ा आपके मेल के बाद। मुझे सच में याद ही नहीं था कि ये ब्लॉग पर भी प्रकाशित हुई है। ये एक मानवीय भूल है कि ये बात जहन से निकल गई थी जब आपको इस कहानी के संबंध में पहली बार मेल किया था। ना ही उसके बाद कभी ऐसा कुछ याद आया जब तीन-चार महीने इस कहानी को लेकर हंस में बात हो रही थी वरना मैं तभी इसे वापस ले लेता। पर हंस में ये कहानी काफी संपादित होकर, छोटी होकर आई थी ब्लॉग के बनिस्बत।

आप मुझे सजेस्ट करें कि क्या करना चाहिए। आप कहेंगे तो मैं फेसबुक पर इस बाबत एक पोस्ट लगा दूंगा कि ये एक ह्यूमन एरर के चलते हुआ है। आपके ध्यानार्थ ये भी बताना है कि ये कहानी प्रिंट में किसी और जगह हंस से पहले नहीं आई है। ये कहानी कहीं भी किसी भी पत्रिका में नहीं है। और मेरे दूसरे संग्रह में भी हंस के बाद ही आई है जो इसी साल फरवरी 2022 में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। अगर आपको या हंस की टीम को फिर भी ऐसा लगता है कि मुझे आगे हंस में कोई कहानी नहीं भेजनी चाहिए तो मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है।